

राजस्थान कर बोर्ड, अजमेर

1. अपील संख्या – 2759 / 2016 / जयपुर.

2. अपील संख्या – 2760 / 2016 / जयपुर.

सहायक आयुक्त,  
प्रतिकरापवंचन राज., वृत्त-प्रथम, जयपुर.

.....अपीलार्थी

बनाम

मैसर्स माइक्रो मेटल्स,  
एफ-393 (सी) रोड नं0 9, एफ-2, वी.के.आई.ए., जयपुर.

.....प्रत्यर्थी.

3. क्रॉस ऑब्जेक्शन संख्या – 325 / 2018 / जयपुर.

4. क्रॉस ऑब्जेक्शन संख्या – 326 / 2018 / जयपुर.

मैसर्स माइक्रो मेटल्स, वी.के.आई.ए., जयपुर.

.....प्रार्थी.

बनाम

सहायक आयुक्त,  
प्रतिकरापवंचन राज., वृत्त-प्रथम, जयपुर.

.....अप्रार्थी.

खण्डपीठ

श्री के. एल. जैन, सदस्य

श्री ओमकार सिंह आशिया, सदस्य

उपस्थित : :

श्री डी. पी. ओझा,

उप-राजकीय अभिभाषक

.....अपीलार्थी राजस्व की ओर से.

श्री विक्रम गोगरा, अभिभाषक

.....प्रत्यर्थी व्यवहारी की ओर से.

निर्णय दिनांक : 27 / 09 / 2018

निर्णय

1. उपरोक्त दो अपीलें सहायक आयुक्त, प्रतिकरापवंचन-राजस्थान, वृत्त-प्रथम, जयपुर (जिसे आगे 'कर निर्धारण अधिकारी' कहा जायेगा) द्वारा अपीलीय प्राधिकारी-तृतीय, वाणिज्यिक कर विभाग, जयपुर (जिसे आगे 'अपीलीय अधिकारी' कहा जायेगा) के अपील संख्या क्रमशः 65 व 66/अपील्स-III/आरवैट/ई/2015-16 में पारित किये गये संयुक्तादेश दिनांक 06.06.2016 के विरुद्ध राजस्थान मूल्य परिवर्धित कर अधिनियम, 2003 (जिसे आगे 'वेट अधिनियम' कहा गया है) की धारा 83 के अन्तर्गत प्रस्तुत की गयी हैं। राजस्व की उक्त अपीलों के विरुद्ध प्रत्यर्थी व्यवहारी द्वारा भी वेट अधिनियम की धारा 83(4) के अन्तर्गत पृथक-पृथक प्रत्याक्षेप (क्रॉस ऑब्जेक्शन्स) प्रस्तुत किये गये हैं। अपीलीय अधिकारी ने उक्त आदेश से कर निर्धारण अधिकारी द्वारा प्रत्यर्थी की आलौच्य अवधियों के लिये वेट अधिनियम की धारा 26, 55 व 61 के तहत पारित किये गये पृथक-पृथक आदेश दिनांक 24.04.2015 के विरुद्ध प्रस्तुत अपीलों को स्वीकार करते हुए प्रकरण कर निर्धारण अधिकारी को पुनः कर निर्धारण आदेश पारित करने हेतु प्रतिप्रेषित किये हैं।

38



लगातार.....2

1-2. अपील संख्या-2759 / 2016 व 2760 / 2016 / जयपुर.

3-4. प्रत्याक्षेप (क्रॉस-ऑब्जेक्शन्स) संख्या-325 / 2018 व 326 / 2018 / जयपुर.

2. इन सभी अपीलों व क्रॉस ऑब्जेक्शन्स में पक्षकार तथा विवादित बिन्दु समान निहित होने से सभी का निस्तारण एक ही आदेश से किया जाकर निर्णय की प्रति प्रत्येक पत्रावली पर पृथक-पृथक रखी जा रही है।

3. प्रकरण के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार हैं कि प्रत्यर्थी व्यवहारी कम्पनी के पार्टनर श्री शंकरलाल कंदोई के आवास व फैक्ट्री पर आयकर विभाग द्वारा सर्च व सीजर की कार्यवाही दिनांक 18.7.2012 को की गयी थी एवं कुछ दस्तावेज अभिग्रहित किये गये थे। उन अभिग्रहित दस्तावेजों की प्रतियां आयकर विभाग से प्राप्त की जाकर वाणिज्यिक कर विभाग द्वारा व्यवसाय स्थल का सर्वेक्षण दिनांक 14.7.2014 को किया गया एवं उन अभिग्रहित दस्तावेजों की जांच फर्म की लेखा-पुस्तकों से की गयी, तब उनका सत्यापन नहीं होना मानते हुए वर्ष 2012-13 एवं वर्ष 2014-15 के कर निर्धारण आदेश अधिनियम की धारा 25, 55 व 61 के तहत पारित करते हुए कर, ब्याज एवं करापवंचन के अभियोग में अधिनियम की धारा 61 के तहत शास्ति का भी आरोपण करते हुए आदेश दिनांक 24.4.2015 को पारित किया गया, जिसके विरुद्ध व्यवहारी द्वारा अपीलीय अधिकारी के समक्ष अपीलें प्रस्तुत की गयी थी जिसमें अपीलीय अधिकारी द्वारा दिनांक 6.6.2016 को संयुक्त आदेश पारित किया जाकर सम्पूर्ण प्रकरण की विवेचना करते हुए व्यवहारी को सुनवाई का अवसर नहीं दिये जाने के आधार पर पुनः जांचकर आदेश पारित करने हेतु प्रकरण कर निर्धारण अधिकारी को प्रतिप्रेषित किया गया। अपीलीय अधिकारी द्वारा कर निर्धारण अधिकारी के आदेश के विरुद्ध प्रस्तुत अपीलों में केवलमात्र यह निर्णय दिया गया था कि प्रत्यर्थी व्यवहारी को सुनवाई का पर्याप्त अवसर प्राप्त नहीं हुआ है, अतः पुनः सुनवाई हेतु प्रकरण कर निर्धारण अधिकारी को प्रतिप्रेषित किया गया है जिसके विरुद्ध विभाग द्वारा यह अपीलें प्रस्तुत की गयी हैं। विभाग द्वारा अपीलें प्रस्तुत करने के बाद प्रत्यर्थी व्यवहारी की ओर से भी क्रॉस ऑब्जेक्शन्स प्रस्तुत किये गये हैं।

4. अपीलार्थी राजस्व की ओर से अपील आधारों को दोहराते हुए विद्वान उप-राजकीय अभिभाषक ने अपीलीय आदेश को अविधिक बताते हुए कर निर्धारण अधिकारी के आदेश को पुनर्स्थापित किये जाने का निवेदन किया परन्तु सुनवाई का समुचित अवसर दिये जाने के अपीलीय आदेश के निर्णय को त्रुटिपूर्ण बताने सम्बन्धी कोई तर्क नहीं दिया, बल्कि अपने लिखित आधारों में केवल यह कथन किया है कि अपीलीय अधिकारी द्वारा जो विवेचन अपने आदेश में किया है वह उचित नहीं है।





1-2. अपील संख्या-2759 / 2016 व 2760 / 2016 / जयपुर.

3-4. प्रत्याक्षेप (क्रॉस-ऑब्जेक्शन्स) संख्या-325 / 2018 व 326 / 2018 / जयपुर.

5. प्रत्यर्थी व्यवहारी की ओर से विद्वान अभिभाषक ने कथन किया कि कर निर्धारण अधिकारी द्वारा स्वयं की ओर से कोई दस्तावेज अभिग्रहित नहीं किये गये थे बल्कि आयकर विभाग द्वारा दिनांक 18.7.2012 को जो सर्वे किया गया था उसमें प्राप्त दस्तावेजों का ही सत्यापन करते हुए मांग सृजित की गयी थी। कथन किया कि स्वयं आयकर विभाग द्वारा उन दस्तावेजों की जांच के पश्चात् यह आदेश पारित किया गया है कि प्रत्यर्थी व्यवहारी की आक्षेपित प्रविष्टियां, रफ पेपर पर की गयी प्रविष्टियां थी इसलिए आयकर विभाग द्वारा उनके विरुद्ध किसी भी तरह की डिमाण्ड इन दस्तावेजों के आधार पर सृजित नहीं की गयी है। ऐसी स्थिति में वाणिज्यिक कर विभाग द्वारा उन पेपर्स की पर्याप्त जांच किये बिना ही उन्हें असत्यापित बताते हुए कर, ब्याज एवं शास्ति का आरोपण किया गया है वह अपास्त योग्य है। कथन किया कि व्यवहारी ने उक्त अपीलीय आदेश के विरुद्ध अपील प्रस्तुत नहीं की थी क्योंकि उन्हें यह विश्वास था कि सुनवाई के पश्चात् कर निर्धारण अधिकारी पुनः न्यायसम्मत आदेश पारित करेंगे परन्तु विभाग द्वारा सुनवाई का अवसर देने के न्यायिक दृष्टि से पारित किये गये अपीलीय आदेश के विरुद्ध अपीलें प्रस्तुत की जाने पर उनके द्वारा क्रॉस ऑब्जेक्शन्स प्रस्तुत किये गये हैं, जो विलम्ब से है, अतः उनके विलम्ब को कन्डोन करते हुए उनके तर्क पर विचार किये जाने का निवेदन किया गया। उन्होंने कथन किया कि विभाग द्वारा अपीलीय आदेश दिनांक 6.6.2016 में दिये गये इन निर्देशों की पालना करने के बजाय कर बोर्ड में द्वितीय अपील प्रस्तुत की गयी है जबकि न्यायहित में कर निर्धारण अधिकारी को पुनः जांचकर साक्ष्यों के आधार पर आदेश पारित करना अपेक्षित था, फलतः विभाग की अपीलें खारिज किये जाने एवं आयकर विभाग द्वारा किसी भी तरह की कार्यवाही नहीं किये जाने के आधार पर उनके क्रॉस ऑब्जेक्शन्स स्वीकार कर कर निर्धारण आदेश को अपास्त किये जाने का अनुरोध किया।

6. दोनों पक्षों की बहस सुनी गयी एवं अपीलीय आदेश का अवलोकन किया गया।

7. अपीलीय अधिकारी द्वारा कर निर्धारण अधिकारी के आदेशों में वर्णित समस्त तथ्यों का विवरण अंकित करते हुए माननीय उच्चतम न्यायालय के स्टेट ऑफ केरला बनाम एम.एम.मैथ्यू व अन्य (1978) 42 एस.टी.सी. 348 के निर्णय का उद्धरण करते हुए, उसके आलोक में यह निर्णय किया है कि विक्रय संब्यवहारों को उच्चतम विक्रय मानने से पूर्व प्रत्येक संब्यवहार की उचित जांच




1-2. अपील संख्या-2759 / 2016 व 2760 / 2016 / जयपुर.


3-4. प्रत्याक्षेप (क्रॉस-ऑब्जेक्शन्स) संख्या-325 / 2018 व 326 / 2018 / जयपुर.

किया जाना नैसर्गिक न्याय के सिद्धान्तों के अनुसार वांछित है परन्तु इस प्रकरण में इसका अभाव होने से न्यायहित में प्रकरण को कर निर्धारण अधिकारी को प्रतिप्रेषित किया गया है। अपीलीय आदेश के अध्ययन से यह स्पष्ट है कि अपीलीय अधिकारी द्वारा कर निर्धारण आदेश में आरोपित कर, ब्याज एवं शास्ति को गुणावगुण पर अपास्त नहीं किया गया है बल्कि प्रकरण में पुनः सुनवाई कर न्यायोचित आदेश पारित करने का निर्देश दिया गया है, जिसमें किसी तरह के हस्तक्षेप की आवश्यकता नहीं होने से विभाग की अपीलें अस्वीकार की जाती हैं एवं कर निर्धारण अधिकारी को निर्देश दिये जाते हैं कि वे अपीलीय आदेश की पालना में व्यवहारी को सुनवाई का पूर्ण अवसर प्रदान करते हुए कर, ब्याज एवं शास्ति आरोपण सम्बन्धी मुद्दों पर उचित एवं विधिसम्मत आदेश पारित करे। व्यवहारी की ओर से प्रस्तुत किये गये क्रॉस ऑब्जेक्शन्स में दिये गये इस तर्क को अस्वीकार किया जाता है कि आयकर विभाग द्वारा कोई कार्यवाही नहीं किये जाने से कर निर्धारण अधिकारी के आदेश को अपास्त किया जावे। अतः क्रॉस ऑब्जेक्शन अस्वीकार किये जाने योग्य है।

8. ऊपर विवेचनानुसार राजस्व की अपीलें एवं व्यवहारी द्वारा प्रस्तुत क्रॉस ऑब्जेक्शन्स अस्वीकार किये जाते हैं।

9. निर्णय सुनाया गया।

  
27.08.2018  
(ओमकार सिंह आशिया)  
सदस्य

  
(के. एल. जैन)  
सदस्य